पूर्व मध्य रेल

संरक्षा बुलेटिन नं0–10/25(पुनरीक्षित)

कार्यालय
महाप्रबंधक/संरक्षा
हाजीपुर

पत्र सं0 ईसीआर/संरक्षा बुलेटिन/10/25 दिनांकः 04.07.2025

विषयः दिनांक 24.06.25 को दक्षिण रेलवे के मदुरई मंडल में विरूदूनगर जं0 वंची मनियाचयी जं0 रेल खंड के कोविलपट्टी–कदम्बूर स्टेशनों के मध्य इंटरमीडियट ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी संख्या 16368 के आ जाने के कारण ब्लॉक नियम भंग होने की घटना के संबंध में ।

1. संक्षिप्त विवरणः

दिनांक 24.06.2025 को मदुरई मंडल में कोविलपट्टी–कदम्बूर स्टेशनों के मध्य OFC केवल कट जाने के कारण गेट सिगनल खराब हो गया । चूंकि गेट सिगनल और इंटरमीडियट ब्लॉक सिगनल IBSS इंटरलॉक्ड थे, इस कारण IBSS सिगनल खतरा की स्थिति में था । तकरीबन 18.34 बजे कदम्बूर स्टेशन से लाइन क्लियर मिलने के बाद गाड़ी संख्या 06322 कोविलपट्टी स्टेशन से प्रस्थान किया । सिगनल सं0–07 खतरा की अवस्था में होने के कारण चालक 18.42 बजे उक्त सिगनल पर रूका । चालक SPT (Signal Post Telephone) पर कोविलपट्टी स्टेशन से सम्पर्क नहीं कर पाया । TMR को सूचित करके 19.02 बजे 08 किमी/प्रतिघंटा की गति से प्रस्थान कर गया ।

इसी समय स्टेशन मास्टर/कोविलपट्टी द्वारा गाड़ी संख्या 16368 (बनारस–कन्याकुमारी एक्सप्रेस) को 19.32 बजे प्रस्थान करा दिया । परिणामतः, दो गाड़ियाँ एक ही ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश कर गयी जबकि सिगनल खराब था । गलती का पता चलते ही आकस्मिक संरक्षा उपाय के तहत OHE सप्लाई काट दी गयी, जिस कारण एक बड़ी दुर्घटना से बचाव हो गया । इसके बाद गाड़ियों को नियंत्रित किया गया । IBS (Intermediate Block Signal) सिगनल 21.20 बजे ठीक हुआ ।

2. प्रकियागत विफलताः

दिनांक 24.06.2025 को हुई दुर्घटना के प्रारंभिक जॉच में यह पाया गया कि–

(i) कोविलपट्टी स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ी संख्या 06322 द्वारा कोविलपट्टी–कदम्बूर सेक्शन क्लियर होना सुनिश्चित नहीं किया गया था ।

(ii) कदम्बूर स्टेश्न मास्टर द्वारा गाड़ी संख्या 06322 का पूर्ण आगमन सुनिश्चित किए बिना दूसरी गाड़ी संख्या 16368 को लाइन क्लियर प्रदान कर दिया गया था ।

3. नियमों का अनुपालन एवं बरती जानेवाली सावधानियाँ

(i) सामान्य एवं सहायक नियम संख्या 3.75 IBS (Passing of Intermediate Block stop Signal at 'ON' position) का पालन करना ।

(ii) सामान्य एवं सहायक नियम संख्या 3.42 (Condition for taking 'OFF' Intermediate Block Signal) का पालन करना ।

(iii) पिछले स्टेशन द्वारा अगले स्टेशन से लाईन क्लीयर का गुप्तांक संख्या लेकर T/369(3b) प्राधिकार जारी किया जाएगा ।

(iv) IBS सिगनल विफलता की स्थिति में IBS को 'SUSPEND' करके दोनों ब्लॉक खंड को एक ब्लॉक खंड मानकर गाड़ी का परिचालन किया जाएगा ।

(v) अगले स्टेशन पर गाड़ी पहुँचने के बाद स्टेशन मास्टर द्वारा पूर्ण आगमन रजिस्टर (T/1410) में गाड़ी प्रबंधक से हस्ताक्षर लेना अनिवार्य है ।

(vi) इस तरह की असामान्य स्थिति में गाड़ी का सुरक्षित परिचालन करने के लिए यातायात निरीक्षक/स्टेशन प्रबंधक प्रभावित सेक्शन/स्टेशन पर जल्द से जल्द पहुँचकर संबंद्ध नियमों का पालन कराते हुए गाड़ी का परिचालन कराएँगे और कार्यरत स्टेशन मास्टर को गाड़ी के सुरक्षित परिचालन में मदद करेंगे ।

उपरोक्त निर्देशों का सर्वसंबंधित द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए । मंडलों के संबंधित अधिकारीगण तथा पर्यवेक्षक नियमित तथा औचक निरीक्षण के समय इन निर्देशों का अनुपालन अवश्य देखें।

04/07/18

(प्रभास राघव)
उप मुख्य संरक्षा अधिकारी/यातायात

प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबंधक के सचिव–महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अपर महाप्रबंधक, प्र0 मु0 परि0 प्र0, प्र0 मु0 इंजी0, प्र0 मु0 वि0 इंजी0, प्र0 मु0 सि0 एवं दू0 इंजी0, प्र0 मु0 यां0 इंजी0 –को सादर सूचनार्थ।
3. मु0 यां0 यो0 प्र0, मु0 या0 या0 प्र0, मुख्य ट्रैक इंजी0, मु0 सि0 इंजी0, मु0वि0वि0इंजी0, मु0 वि0 लो0 इंजी0
4. मंडल रेल प्रबंधक/धनबाद, दीनदयाल उपाध्याय नगर, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
5. वमसंअ0 वमपरिप्र0 वमंविई0 (टीआरडी), वमंविई0 (परि0), वमंसिदूई0 , वमअभि0 (सम0)धनबाद, दीन दयाल उपाध्याय नगर, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
6. सभी सर्व संबंधित पर्यवेक्षक एवं रेल कर्मचारी।